कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 11/2001 दिनांक 24-3-2001 को प्रात: 10·30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री आर·एस· गठाला, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री आर· दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री बद्रीनारायण, उपायुक्त, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त, जोन डी, जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव)जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री शेराराम, सहायक नगर नियोजक, जोन डी, जविप्रा, जयपुर ।

6- श्री गिरिश शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) एजेण्डा आईट्मस -

1·1- एजेण्डा सं0 11/2001-1 :- लक्ष्मी नगर गृ·नि·स· समिति की योजना गुलाब विहार योजना नं0- 40 के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । सोसायटी के प्रतिनिधी सूचना देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए । बाद विचार-विमर्श प्रश्नगत योजना के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1· मुख्तारआम आदि कागजात 90 बी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । अत: 90 बी की कार्यवाही की जांच की जाये ।

2· सहकारी समिति को संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाये जिसमें योजना में प्लाट एरिया 60% से अधिक नहीं हो ।

3· योजना का कैम्प स्थगित किया गया ।

·····2

333

1.2- एजेण्डा सं0 11/2001-2 :- दी सांगानेर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की योजना आनन्द विहार के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कापरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । सोसायटी के प्रतिनिधि श्री रामजीलाल शर्मा, अध्यक्ष एवं श्री नाथूलाल वर्मा, मंत्री उपस्थित हुए । वाद विचार-विमर्श उपरोक्त योजना के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1. सहकारी समिति संशोधित प्लान प्रस्तुत करेगी जिसमे निम्नांकित का समावेश होगा ।

   (अ) जयपुर विकास प्राधिकरण को भूमि चिन्हित हो जो कि योजना क्षेत्र से बाहर हो ।

   (ब) प्लाट एरिया 60% से अधिक नहीं हो ।

2. उपायुक्त खातेदार को वैरीफिकेशन के लिए बुलाये ।

3. योजना का कैम्प स्थगित किया गया ।

1.3- एजेण्डा सं0 11/2001-3 :- इन्दिरा विकास गृ.नि.स. समिति की योजना गौरव नगर तृतीय के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कापरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । समिति के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए परन्तु खातेदार श्रीमती पताशी देवी के पति श्री मोहरी लाल समिति के समक्ष उपस्थित हुए ।

खातेदार श्रीमती पताशी देवी के पति श्री मोहरी लाल ने कहा कि उन्हें 90 बी की जानकारी नहीं मिली थी । उन्होंने भूमि बाग के लिए बेची थी न कि प्लाट बनाने के लिए और खरीददार (सहकारी समिति) ने उसे कोई पैसा भी नहीं दिया है । जांच करने पर पाया कि 90 बी के नोटिस के तामील पर हस्ताक्षर फर्जी है । वाद विचार-विमर्श योजना को निम्नांकित कारणों से निरस्त किया गया -

1. योजना में प्लाट एरिया 60% से अधिक है । भूखण्ड सं0 1,33, 34, 67 किसी अन्य को भूमि पर दर्शाये है ।

2. 80 फिट की रोड़ हाईटेन्शन लाइन के दोनों तरफ बराबर नहीं रखी है ।

....3

334

निम्नांकित निर्णय भी लिये गये -

1. सहायक आयुक्त, जोन ए-1 प्रकोष्ठ के श्री कैलाश मिस्त्री को निलम्बित किया जाये क्योंकि श्री कैलाश मिस्त्री ने 90 बी के तामील नोटिस खातेदार या उसके किसी घर वाले को न देकर इकरारनामे में गवाह रहे श्री बंशीलाल योगी को दिया ।

2. योजना में बने हुए 2 मकान और सभी वार बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया जाये ।

3. योजना के निरस्त होने की सूचना समिति को दी जाए एवं समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जाए । 29-30 मार्च,2001 का कैम्प निरस्त किया जाए ।

1.4- एजेण्डा सं0 11/2001- 4 :- शिव शंकर गृ.नि.स. समिति की योजना पवन विहार के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । सोसायटी के प्रतिनिधि श्री सेडूराम मीणा उपस्थित हुए । वाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1- समिति द्वारा योजना में प्लाट एरिया 60% से अधिक प्रस्तावित किया है जिसे 60% किया जाये । समिति के प्रतिनिधि ने सहमति दी कि वो शीघ्र ही संशोधित प्लान इस बाबत प्रस्तुत कर देंगे ।

2- भूखण्ड सं0 70, 76डी, 76,73 के ब्लाक क्षेत्र को फैसिलिटी क्षेत्र दर्शाया जाए ।

3- भूखण्ड सं0 96 से 92 के पूर्व में स्थित 30 फिट रोड़ को विलोपित कर सामने के भूखण्डों 97,98,107,108 में शामिल किया गया(बैक टू बैक लगाकर) एवं 108 बी और 109 ए में हरी नगर से आने वाली 40 फिट रोड दर्शा कर भूखण्ड सं0 107, 108, 98, 97 से होकर शुरू किया जाये । भूखण्ड सं0 108 ए 60 फिट और 109 ए 50 फिट चौड़ा रहेगा ।

4- भूखण्ड सं0 70, 70ए, 80, 76 सी, 76डी के उत्तर में स्थित 30 फिट रोड़ को 40 फिट किया गया और भूखण्ड सं0 88,89, 90 से शुरू किया गया ।

5- भूखण्ड सं0 13, 14,15, 16 को योजना में शामिल किया गया । योजना के पश्चिम में स्थित 160 फिट चौडी रोड़ (उत्तर दक्षिण) को 160 फिट चौडी करने हेतु भूखण्ड सं0 13,14, 15, 16 के स्वामी

...4

स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने आवश्यक भूमि सरेण्डर करने हेतु सहमति दी ।

6- योजना के पश्चिम में प्रस्तावित 160 फिट चौड़ी उत्तर-दक्षिण रोड़ हेतु योजना के खसरा बाउण्ड्री से दोनों तरफ 80'-80' भूमि रोड़ मार्क की जाएगी ।

1.5- एजेण्डा सं0 11/2001-5 :- नागरिक गृ.नि.स. समिति की योजना चन्द्रगुप्त नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कापरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । समिति के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1. योजना के पूर्व में स्थित 160 फिट चौड़ी उत्तर-दक्षिण रोड़ हेतु रोड़ बाउण्ड्री में आने वाले निम्नांकित भूखण्डों को निरस्त किया गया -

   ए-1, ए-2, ए-26, ए-27, ए-28, बी-38, बी-39, बी-40, बी-47, बी-48, बी-49, सी-70, सी-71, सी-72, सी-96 एवं सी-97

   उपरोक्त रोड़ खसरा बाउण्ड्री से 80 फिट दोनों ओर लेकर अनुमोदित की गयी है ।

2. 25 फिट चौड़ी सड़कों को 30 फिट अंकित किया जाए ।

3. पूर्व से पश्चिम की प्रस्तावित चारों सड़कों के संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना के पश्चिम में स्थित और प्रस्तुत अन्य योजना को साथ लगाकर देखा जाये कि इनमें से कौनसी रोड़ थ्रू हो सकती है जो रोड़ थ्रू हो सकती है उसे 40 फिट चौड़ा कर थ्रू किया जाए ।

1.6- एजेण्डा सं0 11/2001-6 :- हरी नगर गृ.नि.स. समिति की योजना हरी नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कापरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री उपस्थित हुए । बाद विचार-विमर्श योजना का निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदन किया गया -

1. समिति ने आवासीय क्षेत्रफल 74.24% प्रस्तावित किया है । इस बाबत उपस्थित समिति के प्रतिनिधियों को 60% प्लाट एरिया करते हुए संशोधित प्लान प्रस्तुत करने को कहा गया ।

336

2· योजना के पश्चिम में स्थित 160 फिट चौड़ी रोड़ उत्तर-दक्षिण को खसरा बाउण्ड्री से 80 फिट दोनों ओर स्वीकृत किया गया और रोड़ की चौड़ाई में आने वाले भूखण्ड़ सं0 1, 108 और 109 व 110 के क्षेत्र को अस्वीकृत किया गया ।

3· भूखण्ड़ सं0 69,70 के पूर्व में स्थित 40 फिट रोड़ को शुरू कर पवन विहार से मिलाने हेतु भूखण्ड़ सं0 20 और 19ए को अस्वीकृत किया गया और वहाँ रोड़ दर्शाने का निर्णय लिया गया ।

4· भूखण्ड़ सं0 38, 39 और 50, 51 को अस्वीकृत करने और इनमे से होकर 40 फिट चौडी रोड़ दर्शाने का निर्णय लिया गया ।

5· भूखण्ड़ सं0 60 व 25 के मध्य 30 फिट चौड़ी रोड़ है जिसे 40 फिट कर पवन विहार से मिलाने हेतु शुरू करने का निर्णय लिया गया ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वनमि/कॉपरेटिव/2001/डी-89

दिनांक : 31-3-2001

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।

2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा,जयपुर ।

4- अति· आयुक्त(भू-रूपान्तरण) जविप्रा, जयपुर ।

5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2 एवं डी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-II(कॉपरेटिव)